

छत्तीसगढ़ में NCB का ज़ोनल कार्यालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के ज़ोनल कार्यालय का उद्घाटन किया।

मुख्य बंदि

- अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की स्थिति, [वामपंथी उग्रवाद \(LWE\)](#) की स्थिति और नक्सलवाद पर अंतर-राज्यीय समन्वय पर बैठकों की अध्यक्षता भी की।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:
- इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985](#) के अंतर्गत किया गया था।
- यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है।
- [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति](#) भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 47](#) पर आधारित है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ के लिये हानिकारक मादक औषधियों के उपभोग पर, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- यह किसी व्यक्ति को मादक दवा या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से रोकता है।
- **NDPS अधिनियम, 1985** के एक प्रावधान के तहत मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया, ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।